बिहार-विधान-सभा वादवृत्त।

शनिवार, तिथि २९ सितम्बर, १९५१।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण।

His Excellency the Governor's Address.

महामहिम राज्यपाल—बिहार-विधान-मंडल के सदस्यगण,

साधारण निर्वाचन के पूर्व विधान-मंडल का संभवतः यह अन्तिम अधिवेशन है, अतएव हमारा यह अभिभाषण मुख्यतः विदाई का भाषण होगा। इस अवसर पर यह उचित होगा कि हम पीछे एक दृष्टि डालें और ५॥ वर्ष पहले प्रथम अधिवेशन के बाद से जिन कठिनाइयों से हम गुजरे, जिन प्रमुख समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा तथा आपके प्रयत्नों को जो मुख्य सफलताएं मिलीं, उनका संक्षेप में पर्यालोचन करें। ये वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण रहे हैं। सचमुच हमारे लम्बे और उत्थान-पतन से पूर्ण इतिहास की इतनी छोटी-सी कालावधि में इतना इतिहास शायद ही कभी समाया हो। जब अप्रल, १९४६ में आपका पहला अधिवेशन हुआ, तब भारत के ब्रिटिश-शासन की नींव निस्सन्देह हिल चुकी थी, किन्तु उस शासन का भारी-भरकम ढांचा अब भी वर्त्तमान था और बहुत से लोग विधान-मंडल को स्वातंत्र्य-संग्राम का एक मोर्चा और विधान-मंडल में बहुमत वाले दल द्वारा पद-ग्रहण के उस युद्ध को आगे बढ़ाने का एक प्रमुख साधन समझते थे। किन्तु यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश-शासन अन्त के पथ पर और डेढ़ वर्ष के भीतर देश स्वाधीन हो गया, अवश्य ही स्वाधीनता की प्राप्ति के साथ देश का विभाजन आया और उसके साथ आया एक विप्लव, जिसने लाखों व्यक्तियों को अकथनीय कष्ट में डाल दिया। २६ जनवरी, १९५० को भारत सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोक-तन्त्रात्मक-गणराज्य हो गया और जनता ने एक संविधान बनाया जिसके उपबंधों में न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बन्धुता के आदर्श हैं। आपने अपना कार्य, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ के ढांचे के भीतर प्रारंभ किया, उसे संक्रान्ति-काल के बीच जब कि उक्त अधिनियम इंडिया (प्रोविजनल कन्सटिट्यूशन) आर्डर, १९४७ द्वारा अनुकूलित हुआ, जारी रखा और आज नये संविधान के मूलतः भिन्न सिद्धान्तों और आदर्शों के अधीन डेढ़ वर्ष से अधिक काम करने के बाद अपने यत्नों को विराम दे रहे हैं। निश्चय ही अप्रैल, १९४६ के प्रथम अधिवेशन के बाद से आपने लंबी मंजिल तै कर ली है।

२। यह न केवल महान परिवर्त्तनों के वर्ष रहे हैं, वरन् इन वर्षों में भयानक कठिनाइयां और बोझ, बड़े-बड़े संकट, परीक्षाएं और चिन्ताएं भी आयी हैं तथा साथ

N. B.—His Excellency the Governor addressed the Members of the Legislature assembled together, under Art. 175 (1) of the Constitution of India, at 10-30 A. M. on the 29th September 1951.

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—श्री राजेन्द्र झा १५ नवम्बर, १९४७ को क्लर्क में बहाल हुए और १५ मार्च, १९५० को कुछ और क्लर्कों के साथ जिनके कार्य का रिकार्ड अच्छा था, वार्ड इन्सपेक्टर बनाया गया। उत्तम रेकार्ड के कारण इनकी नियुक्ति दो महीने के अवकाश की अवधि में इन्क्वायरी इन्सपेक्टर के पद पर हुई। तत्पश्चात् ये अपने पूर्व पद पर कार्य करने लगे।

११८। श्री देवकीनन्दन प्रसाद—क्या माननीय मंत्री, पूर्त्ति एवं मूल्य नियंत्रण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) राशनिंग अफसर, पटना के महकमे में श्री रामचन्द्र पांडेय, वार्ड इन्सपेक्टर को जो ४२ क्रांति के राजनैतिक पीड़ित हैं, किस आधार पर वार्ड इन्सपेक्टर के अयोग्य करार दिया गया;

(ख) क्या यह बात सही है कि उनके विरुद्ध किसी पिछले चार-पांच महीने की बेबुनियादी रिपोर्ट की आड़ में उन्हें अयोग्य ठहराया गया है;

(ग) क्या यह बात सही है कि इधर उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी, फिर उन्हें क्यों बर्खास्त किया गया?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—(क) वार्ड इन्सपेक्टर श्री रामचन्द्र पांडेय की अयोग्यता और कार्य के प्रति उदासीनता के कारण वार्ड इन्सपेक्टर के पद के लिये अयोग्य करार दिये गये।

(ख) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(ग) ये वार्ड इन्सपेक्टर के पद के लिये सर्वथा अयोग्य होने के कारण बर्खास्त कर दिये गये। नोटिस के बदले एक महीने का वेतन देकर उन्हें बर्खास्त किया गया।

११९। श्री देवकीनन्दन प्रसाद—क्या माननीय मंत्री, पूर्त्ति एवं मूल्य नियंत्रण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि पटना राशनिंग अफसर के महकमे में श्री असलम तौहीदी, वार्ड इन्सपेक्टर की किस विशेषता पर क्लर्क से तरक्की हुई थी, और कितने दिनों बाद किस अपराध पर पदह्रास करके फिर क्लर्क बना दिया गया?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—श्री असलम तौहीदी ने पहली जुलाई १९५० को सीनियर होने और कार्य का रिकार्ड अच्छा होने के नाते वार्ड इन्सपेक्टर के पद पर तरक्की पायी। परन्तु पांच ही महीने बाद उन्होंने रेशन दूकान के आदमियों से मिल कर पाटलिपुत्र कोआपरेटिव स्टोर्स, कदमकुआं की मुलाहाजा बही में १६ अक्तूबर, १९५० को अशुद्ध और बिला जरूरत नोट लिखा जिससे उन्हें फिर क्लर्क बना दिया गया।

रेशन गुदाम में गल्ले की कमी।

१२०। श्री कमलेश्वरी प्रसाद यादव—क्या माननीय मंत्री, पूर्त्ति एवं मूल्य नियंत्रण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि कुछ दिनों पहले पटना राशनिंग के सरकारी गल्ले की गुदाम में ९० मन गल्ले की कमी स्टाक में हुई थी जब कि उक्त सरकारी गुदाम में कोई बिहारी सज्जन मैनेजर थे;